

दिनाँक 19.03.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त शाहरुख पुत्र युनुस को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19.03.2024 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख पुत्र युनुस नि0 ग्राम चिकवनपुरवा मजरा समरदाहरी थाना खमरिया जनपद खीरी को बेहटा मार्ग पर कर्बला के सामने बहद ग्राम समरदाहरी से अवैध तमन्चा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त एंव विवरण अभियोग

1. शाहरुख पुत्र युनुस नि० ग्राम चिकवनपुरवा मजरा समरदाहरी थाना खमरिया जनपद खीरी (मु०अ०सं० 110/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खमरिया जनपद खीरी)

<u>बरामदगी</u>

एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास

- 1. मु०अ०सं० ०००४/२०२३ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना खमरिया जनपद खीरी
- 2. मु०अ०सं० ३२३/२०२३ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना खमरिया जनपद खीरी
- 3. मु०अ०सं० ११०/२०२४ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना खमरिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1. उ०नि० श्री सुनील बाबू अवस्थी थाना खमरिया जनपद खीरी
- 2. हे0का0 अरूण कुमार थाना खमरिया जनपद खीरी
- 3. का० अरविन्द गौतम थाना खमरिया जनपद खीरी

थाना निघासन पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 19.03.2024 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोतवाली निघासन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/24 धारा 304, 323 भा0दं0वि0 में वांछित अभियुक्ता ममता पुत्री जग्गी निवासी ग्राम बबुरी मजरा मूड़ाबुजुर्ग कोतवाली निघासन खीरी को ग्राम अदलाबाद नदी के किनारे मन्दिर के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया है। अभियुक्ता बाहर भागने की फिराक में थी। अभियुक्ता ममता उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1. उ०नि० आदित्य कुमार यादव थाना निघासन,
- 2. हे0का0 उमापति वर्मा थाना निघासन
- 3. का० सुरेन्द्रधर दूबे थाना निघासन
- 4. का० अंतुल कुमार थाना निघासन
- 5. म0का० फोयम थाना निघासन

<u>आगामी लोकसभा चुनाव व त्योहारों के दृष्टिगत जनपद खीरी पुलिस</u> द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव व त्योहारों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु जनपद खीरी पुलिस पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है जिसके लिए जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा नियमित रूप से संवेदनशील ग्रामों, कस्बों एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों में पैदल गस्त/एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को सर्किल मितौली में क्षेत्राधिकारी मितौली के साथ, प्रभारी निरीक्षक थाना मितौली, प्रभारी निरीक्षक थाना मैगलगंज, थानाध्यक्ष नीमगांव, अर्ध सैनिक बल व पुलिस की संयुक्त टीम के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत कस्बा, ग्राम व अन्य स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त छोटेलाल उर्फ सचिदानन्द पुत्र बालकराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.03.2024 को 01 नफर अभियुक्त 1. छोटेलाल उर्फ सचिदानन्द पुत्र बालकराम निवासी ग्राम अजबापुर थाना पसगवां जनपद खीरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 13.10 बजे राम सीता मन्दिर के पीछे बहद ग्राम अजबापुर थाना पसगवां जनपद खीरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना पसगवां पर मु0अ०सं0 115/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसका चालान माननीय न्यायालय किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

1. छोटेलाल उर्फ सचिदानन्द पुत्र बालकराम वर्ष निवासी ग्राम अजबापुर थाना पसगवां जनपद खीरी।

बरामदगी का विवरण -

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना पसगवाँ जनपद खीरी</u>

- 1. उ०नि० बृजेश कुमार सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी
- 2. हे0का0 रामेन्द्र कुमार सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- 1-थाना गोला पुलिस द्वारा, अ०सं० 5425/16 धारा 3/5/8 गो०नि० अधिनियम में वारंटी अभियुक्त कबीर पुत्र हैदर नि० भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 2-थाना गोला पुलिस द्वारा, अ०सं० 521/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारंटी अभियुक्त रंजीत पुत्र रामपाल नि० जगनपुर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 3-थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ०सं० 299/15 धारा 354/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त राजू पुत्र सुन्दर(कालिया) नि0 मदनापुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 4-थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ०सं० 856/23 धारा ६० आबकारी अधिनियम में वारंटी अभियुक्त दयाशंकर पुत्र बनवारीलाल नि० रकेहटी थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 5-थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ०सं० 315/18 धारा 147/323/504/304/34 भादवि में वारंटी अभियुक्त रामनरायन पुत्र हुनर नि० कस्बा व थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 6-थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अ०सं० 105/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त पप्पू पासी पुत्र रिषिपाल पासी नि० पालचक थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 7-थाना मितौली पुलिस द्वारा, मु०अ०सं० 78/2024 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त 1.अमित कुमार पुत्र राकेश चौहान नि० थाना मैगलगंज खीरी(बाल अभिचारी) 2. अनिकेत पुत्र पवन त्रिवेदी नि० कस्वा व थाना मितौली जनपद खीरी(बाल अभिचारी) को गिरफ्तार किया गया।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 06 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खमरिया पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए कुल 06 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 2490/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खमरिया पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त इसहाक पुत्र जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त इसहाक पुत्र जान मोहम्मद नि0 भोलापुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना भीरा पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त सूरज गुप्ता उर्फ कालिया पुत्र जयपाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सूरज गुप्ता उर्फ कालिया पुत्र जयपाल नि0 त्रिकोलिया थाना भीरा जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना भीरा पर मु0अ0सं0 118/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर 01 नफर अभियुक्त राजू पुत्र रसीद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खमरिया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजू पुत्र रसीद नि0 चिकनपुरवा थाना खमरिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खमरिया पर मु0अ0सं0 105/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 655 लीटर अवैध शराब</u> <u>बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 655 लीटर अवैध शराब व 08 शराब भट्टी बरामद कर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 22 अभियोग पंजीकृत किए गए।